पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

पंत भवन, सातवां तल्ला, नेहरू पथ, पटना–800001
Email: ceo.pmaa@gmail.com

पत्रांकः– PMAA/PCRN/$\frac{CHHITMA}{DIDARGANJ}$/$\frac{Block\ A=(B+G+06)}{LIG/EWS\ Block\ B=(G+05)}$/64/2025 -665- पटना, दिनांक– 22.07.2026

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

मेसर्स नालंदा उम्मीद सिटी प्रा० लि०,
निदेशक–श्री अजीत कुमार एवं अन्य,
पिता–स्व० राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
कार्यालय–धनकी मोड़, अपोजिट राज डेयरी,
कंकड़बाग, पटना–800020.
मो०–9334389216.

विषयः– प्लान केस संख्या PMAA/PCRN/$\frac{CHHITMA}{DIDARGANJ}$/$\frac{Block\ A=(B+G+06)}{LIG/EWS\ Block\ B=(G+05)}$/64/2025 की पुनरीक्षित आलेख्य (नक्शा) स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०– PMAA/PCRN/$\frac{CHHITMA}{DIDARGANJ}$/$\frac{Block\ A=(B+G+06)}{LIG/EWS\ Block\ B=(G+05)}$/64/2025 है, दिनांक– 01.12.2025 के प्रस्तावित परियोजना ''**चन्द्रनूतन**'' के संदर्भ में **मेसर्स नालंदा उम्मीद सिटी प्रा० लि०,** निदेशक–**श्री अजीत कुमार एवं अन्य,** पिता–स्व० राजेन्द्र प्रसाद सिंह का आवासीय भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा–**छितमा,** थाना–दिदारगंज, थाना सं०–30 के तौजी नं०–48, 55 के खाता सं०–05 एवं 08, सर्वे प्लॉट संख्या–**19(अंश) एवं 21(अंश)** पर **Block-A=(B+G+06), Block-B (LIG/EWS)=(G+05) आवासीय भवन** का दिनांक–21.01.2026 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

2. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से सिर्फ आवासीय भवन प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

3. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

4. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 2605.52 वर्गमीटर का बेसमेन्ट पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

18. बिहार भवन उपविधि, 2014 एवं पटना मास्टर प्लान, 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।

19. प्राधिकार का पत्रांक–521, दिनांक–05.09.2023 के आलोक में बाहरी दिवारों पर अनिवार्य रूप से प्लास्टर कराना अनिवार्य होगा।

20. आवेदक स्वीकृत नक्शे की प्रतिलिपि कार्य स्थल पर हमेशा संलग्न रखेगें, जो प्राधिकार के पदाधिकारियों के स्थल निरीक्षण के दौरान माँगे जाने पर दिखाया जाएगा।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० (सी०) संख्या–36440/2014 से उदभूत सिविल अपील संख्या–14604/2024, वाद में दिनांक–17.12.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6387, दिनांक–06.06.2025 द्वारा संसूचित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना अनिर्वाय होगा।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।